

इकतारा बोले

डॉ टी महादेव राव
विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)
9394290204

दुनियां बोलते रहने वालों की



वार्तालाप, बातचीत, संवाद से परे आजकल सभी एक तरफा वक्ता बनते जा रहे हैं बिल्कुल एफ एम रेडियो की तरह। वार्तालाप, बातचीत, संवाद में आप बोलेंगे तो सामने वाला अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ बोलेगा, कुछ पूछेगा, कुछ स्पष्टीकरण चाहेगा, लेकिन केवल वक्तव्य देने या वक्ता बने रहने से प्रतिक्रिया, प्रश्न, स्पष्टीकरण से बचा जा सकता है। खुद को तनाव से, मानसिक दबाव से यानी स्ट्रैस से बचाया जा सकता है, क्योंकि सामने वाला क्या कुछ पूछ सकता है और उसका उत्तर आपके पास शायद न हो। होगा भी कैसे? अधजल गगरी हैं तो छलकेंगे ही।

वे गाली-गलौज भी चाशनी में डुबोकर देते हैं वैसे ही जैसे शहद में डूबा कर जूता मारा जाता है। यह फेंकू किस्म के नेता सामने वाले को तो बस शिकारपुर का मानकर अपनी बकवास से सामने वाले को चित करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं।

आजकल जैसे बोलने की हर आदमी में होड़ लगी हुई है। मोबाइल कंपनियां आपको अपने फोन पर ज्यादा से ज्यादा बोलते रहने के लिए उकसाती रहती हैं, ताकि आपके 'बोलों 'से उनका 'धंधा' चलता रहे। कहते हैं योगी, गुरु, संत, महात्मा बड़े ही मितभाषी यानी बहुत कम बोलने वाले और मौनी किस्म के ज्यादा होते हैं। तभी उनकी बातों का, उनके व्याख्यान का, उनके संदेशों का अनुकरण किया जाता है। 'शोले' फिल्म की बहुत प्यारी और ढेर सारी बातें करने वाली बसंती जैसे तो आजकल हर कोई होता जा रहा है। अगर कहा जाए तो उससे भी आगे बढ़ता जा रहा है। विशेषकर राजनीतिज्ञ, उनमें भी सत्ता में आसीन,उनके द्वारा समर्थित और उनके समर्थक सारे तोतों की तरह बोलते जा रहे हैं, वह भी बार बार लगातार।

चुनावी भाषण हो, बच्चों के साथ बातचीत हो, अपने साथियों को आदेश देना हो, उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वहां केवल वही वक्ता हैं। बाकी सब श्रोता अनुयाई या भक्त हैं। 'हम हाले दिल सुनाएंगे सुनिए कि न सुनिए' की तर्ज पर हमेशा बोलते रहते हैं। इस बीच वे बड़ी क्लिष्ट परिस्थिति में पहुँच गए थे तो बस अपनी आंखें पोंछ लिए। फिर क्या था जनता ने घडियाली रुदन देखा और सहानुभूति जगा लिया अपने मन में।

उनका बोलना तो बोलना है उनके साथी, संगी, भक्त सारे अपने बोलती बंद नहीं कर पा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि सभी को अपनी आवाज में अर्धज्ञान का आख्यान और शेखी बघारना अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में वही बुद्धिशाली हैं, ज्ञानी हैं और विद्वान हैं और तो और सर्व ज्ञान संपन्न विद्वान हैं। जब आख्यानों और व्याख्यानों पर छींटाकशी होने लगी, लोग विपरीतार्थ निकाल कर उन्हें अज्ञानी सिद्ध कर देते हैं, तो यह कहते हैं कि 'कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पर आते, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते।' इन सब के बावजूद उनके हर अल्पज्ञान की वक्तागिरी भी कम आकर्षणीय नहीं। इतना बचाव करते हैं जितना खूनी मुवक्किल को बचाने बचाव पक्ष का वकील भी नहीं करता होगा। भक्तों को उनके हर शब्द में एक अलग ही दुनिया, अलग ही अर्थ नजर आता है। अर्थ यह कि वे भी चुप नहीं रहते। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण भी तो तेजी से बढ़ेगा ही।

जिस तरह खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है उसी तरह सभी वक्ता बने जा रहे हैं। विषय हो या न हो कोई बात नहीं, पर लगातार बोलना जरूरी है। श्रोताओं की कमी और वक्ताओं की अधिकता हुई जा रही है। मैंने अपने मित्र डॉक्टर से पूछा - 'यह बोलने की बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है? पहले तो ऐसा नहीं था। अब लगता है सभी बोलने के लिए ऐसे आतुर हैं, जैसे कल से उनकी बोलती बंद हो जाएगी या उनकी स्वर पेटिका काम करना बंद कर देगी।' डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा - 'कोरोना ने सभी को ज्ञानी और महान आख्यान देने वाले वक्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया है। खाली दिमाग बोलों का कारखाना हो गया है। घर बैठे कभी व्हाट्सएप पर, कभी फिर किसी से बात करते हुए, तो किसी निरीह प्राणी पर अपनी वाचालता और वाकप्रवाह की बाढ़ ला देते हैं। जिनके घर में गृहिणी है तो संयमित रहेंगे, नहीं है तो बस। 'कोई उपाय है इस वाचालता का डॉक्टर? ' 'क्यों नहीं, सरकार खाने के तेल, पेट्रोल, डीजल की कीमतें अंधाधुंध बढ़ा रही है और अन्य चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं इसके बावजूद जीडीपी पचहत्तर वर्ष में अल्प अंक पर आ गया है। इसलिए चाहिए कि बोलने पर, चाहे वह कोई भी हो, 'वाक कर' का प्रावधान करे और सख्ती से उसका पालन करे तो दो फायदे होंगे - एक तो लोगों के कान बचेंगे और सरकार की भी आमदनी बढ़ेगी। '

डॉ टी महादेव राव
विशाखापटनम

46वें बाल महोत्सव का भव्य समापन: 98 विजेता सम्मानित





महू(इंदौर समाचार)। बाल महोत्सव समिति के तत्वावधान में 46वें बाल महोत्सव का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह श्री जय गोविन्द गोपीनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय सचिव श्री अशोक मेवाड़ा ने की, जबकि मुख्य अतिथि छावनी परिषद महू की मुख्य अधिशासी अधिकारी सुश्री ज्योति कपूर और विशेष अतिथि किड्स कॉलेज, इंदौर की प्राचार्य श्रीमती जूही मिश्रा रहीं।

मुख्य अतिथि सुश्री ज्योति कपूर ने कहा कि महोत्सव बच्चों की प्रतिभा व संस्कार निखारने का माध्यम है। उन्होंने बच्चों को जिज्ञासु रहने, प्रकृति से जुड़ने, चुनौतियां स्वीकारने और महापुरुषों के आदर्शों का अनुकरण करने की प्रेरणा दी। विशेष अतिथि श्रीमती जूही मिश्रा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास का मंच है और प्रतियोगिताएं ही हार को जीत में बदलना सिखाती हैं।

शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए गुरुतेग बहादुर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक हरजीत सिंह भाटिया को अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया। *पुरस्कार वितरण:* प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तर की 17 प्रतियोगिताओं में 17 विद्यालयों के 98 विजेता विद्यार्थियों तथा निबंध प्रतियोगिता के विजेता शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। सर्वाधिक जीत के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल को विशेष पुरस्कार मिला।

समारोह की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। संचालन श्रीमती वंदना दुबे ने किया, जानकारी सहसचिव श्री नारायण चौहान ने दी तथा आभार अध्यक्ष सुरेश खंडेलवाल ने माना। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

महू अमृत जल योजना-2 के कार्य से रहवासी परेशान

पाइपलाइन डालने के दौरान टूटे कई घरों के नल कनेक्शन

महू (इंदौर समाचार)। महू अमृत जल योजना-2 के अंतर्गत नगर में पाइपलाइन डालने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।



इसी के तहत कलाली चौराहे पर भी पाइपलाइन डालने का कार्य जारी है। लेकिन इस कार्य के दौरान कई रहवासियों के घरेलू नल कनेक्शन टूट गए हैं, जिसके चलते पिछले तीन दिनों से प्रभावित घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है।

रहवासियों ने शिकायत करते हुए बताया कि पाइपलाइन डालने के दौरान उनके नल कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस संबंध में छावनी परिषद द्वारा कनेक्शनों को दुरुस्त करने की बात कही गई थी, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में प्रभावित परिवारों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है और सभी को जलापूर्ति दोबारा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है।

रहवासियों का कहना है कि विकास कार्य निश्चित रूप से आवश्यक हैं, लेकिन इनके चलते आमजन को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करे।

रोटरी क्लब ऑफ महू कैंट रीजन-6 में अव्वल,



महू(इंदौर समाचार)। इंदौर के ओमनी गार्डन में 22 नवंबर 2026 को आयोजित रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 के अवार्ड समारोह 'परितोष-2026' में रोटरी क्लब ऑफ महू कैंट ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की। क्लब ने वर्षभर के 47 सेवा प्रोजेक्ट्स और सामाजिक गतिविधियों के लिए 18 अवार्ड जीतकर रीजन-6 में प्रथम स्थान तथा पूरे डिस्ट्रिक्ट 3040 के सभी क्लबों व 9 रीजन में तीसरा स्थान हासिल किया। क्लब प्रेसिडेंट डॉ. राजेश कुमार पाटीदार को उत्कृष्ट नेतृत्व और सेवा कार्यों के लिए 'बेस्ट प्रेसिडेंट गोल्ड रीजन-6' सम्मान से नवाजा गया। उन्हें जिला गवर्नर संस्कार कोठारी, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेडी दीप्ति कोठारी और अन्य पदाधिकारियों ने सम्मानित किया समारोह में इनरव्हील क्लब ऑफ महू कैंट की प्रेसिडेंट डॉ. हेमलता पाटीदार भी मौजूद रहीं। क्लब की इस सफलता पर विधायक उषा ठाकुर, रोटरी पदाधिकारियों, सदस्यों और समाजजनों ने बधाई दी।

बाल विवाह निषेध दिवस पर व्याख्यान का आयोजन



महू (इंदौर समाचार)। भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की छत्रछाया में बाल विवाह निषेध दिवस पर महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में व्याख्यान का आयोजन किया गया जिसकी प्रमुख वक्ता डॉक्टर निशा जैन विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, समाजशास्त्र, महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किला मैदान रही,कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण ओझा की अध्यक्षता मैं संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पूजन अर्चन एवं वंदन के साथ हुआ, सरस्वती वंदना डॉक्टर मनीषा दंडावते द्वारा मधुर स्वर में प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ जैन ने अपने वक्तव्य में बाल विवाह निषेध के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बाल विवाह के कारण, दुष्प्रभाव एवं उसे दूर करने हेतु सरकारी प्रयासों एवं सुझावों से अवगत कराया इसके अतिरिक्त आपने बाल विवाह को रोकने हेतु महाविद्यालयीन विद्यार्थियों की भूमिका को भी आवश्यक बताया। प्राचार्य डॉक्टर ओझा ने अपने उद्बोधन में कहां कि बाल विवाह सामाजिक बुराई है एवं इसे हर स्तर पर रोकना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर निशा जैन के द्वारा बाल विवाह निषेध से संबंधित शासन द्वारा जारी शपथ भी महाविद्यालय के स्टाफ एवं विद्यार्थियों को दिलवाई गई।

डॉ भार्गव को मिला मध्य प्रदेश सेवा अलंकरण सम्मान

इंदौर। कैंसर के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा मरीजों को राहत पहुंचाने एवं कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डॉ अखलेश भार्गव, विभाग अध्यक्ष शल्य तंत्र एवं कैंसर यूनिट के संचालक को शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली एवं अक्षर सामाजिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को प्रीतम लाल दुआ सभागृह में कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री एवं ए. विनोद, राष्ट्रीय संयोजक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा सम्मानित किया गया, डॉ भार्गव के द्वारा पिछले कई वर्षों से कैंसर मरीजों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जा रहा है एवं भारत सरकार के कारूण्य प्रोजेक्ट तथा स्तन कैंसर जागरूकता प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अस्पताल में ओजोन थेरेपी के माध्यम से सैकड़ो मरीजों को लाभ पहुंचा रहे हैं, डॉ भार्गव ने बताया कि आयुर्वेद दवाइयों से कैंसर जैसी बीमारी में बहुत लाभ होता है, अष्टांग आयुर्वेद हॉस्पिटल कैंसर यूनिट में देश भर से मरीज कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में इलाज के लिए आते हैं, उन्होंने कहा कि यह सम्मान समस्त आयुर्वेद का सम्मान है।

कोर्ट को कुछ नहीं समझने वाले लापरवाह तहसीलदार, लगा 60 हजार हर्जाना, 5 साल तक जवाब ही नहीं दिया

इन्दौर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस संदीप एन. भट्ट की एकल पीठ ने गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई दौरान छः तहसीलदारी को गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए उन पर 60 हजार का जुर्माना लगाया है। उज्जैन में पदस्थ इन सभी तहसीलदारों ने याचिका पर 5 साल तक कोर्ट में कोई जवाब ही पेश नहीं किया था। जिसे कोर्ट गंभीर लापरवाही मानते हुए जुर्माना लगा जुर्माने की राशि सात दिन में कराने के निर्देश देते अपने आदेश में कहा कि शासन चाहे तो इस राशि को वर्ष 2021 से 2026 के बीच इस पद पर रहे पांच-छह अधिकारियों से समान रूप से वसूल सकता है। वहीं यह राशि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराने के निर्देश के साथ कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से कहा कि तीन दिसंबर को होने वाली सुनवाई से पहले 60 हजार रुपये जमा करने की रसीद प्रस्तुत करें। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते अपने आदेश में यह भी कहा कि हर्जाने की राशि जमा कराने के बाद ही शासन की ओर से पेश किए जाने वाले जवाब को स्वीकार किया जाएगा।

ज्ञात हो कि उज्जैन की राजस्व कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति से जुड़े एक मामले में एक याचिका 2021 में दायर की गई थी जिसमें शासन, कलेक्टर, तहसीलदार, आरआइ और पटवारी हल्का नंबर 64 को पक्षकार बनाया गया है। परन्तु कोर्ट द्वारा बार-बार निर्देश के बावजूद जवाब नहीं आने पर संस्था के अधिवक्ता गौरव कुमार वर्मा ने कोर्ट से अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। जिसके बाद कोर्ट के समक्ष वर्तमान तहसीलदार मुकेश सोनी पेश हुए और उन्होंने कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने के बाद कोर्ट को बताया कि उन्होंने मार्च 2026 में पदभार संभाला है और उनसे पहले पांच-छह अधिकारी इस पद पर रहे। जिसके बाद कोर्ट ने उक्त आदेश दे याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 3 दिसंबर तय की।

शादी का झांसा दे दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा, अपने मृत दोस्त की पत्नी के साथ किया कुकर्म

इन्दौर। विशेष न्यायाधीश अनिता सिंह की कोर्ट ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी के एक प्रकरण की सुनवाई उपरांत अपने मृत दोस्त की पत्नी के साथ शादी का झांसा दे दुष्कर्म करने वाले आरोपी लखन सोंधिया को दोषी करार देते 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते अर्थदंड से भी दंडित किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शुरुआत से ही शादी की नीयत न रखते हुए झूठा आश्वासन देकर प्राप्त की गई सहमति कानूनी रूप से दूषित सहमति की श्रेणी में ही आती है। कोर्ट ने आरोपी को दंडित करने के साथ ही पीड़िता को म.प्र. पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत अतिरिक्त सहायता दिलाने की अनुशंसा भी की है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अभियोजक जयंती दुबे ने पैरवी की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अपने पति की मृत्यु के बाद एक निजी अस्पताल में कार्यरत पीड़िता उम्र सैंतीस वर्ष से उसके दिवंगत पति के मित्र व आरोपी लखन ने प्रेम का इजहार कर शादी का प्रस्ताव दिया था। 10 जनवरी 2021 से 4 अप्रैल 2021 के बीच दोनों किराए का कमरा लेकर साथ रहे, जहां आरोपी शादी का झांसा देकर निरंतर शारीरिक संबंध बनाता रहा। 4 अप्रैल 2021 को जब पीड़िता के पिता कोर्ट मैरिज के लिए आने वाले थे, आरोपी अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर गांव चला गया और बाद में पीड़िता का नंबर ब्लॉक कर शादी से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने थाना खजराना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री सुमीत पिता श्री राधा मोहन शर्मा, निवासी-म.नं. 678, सनाढय मोहल्ला मानपुर तहसील महू, जिला इन्दौर के मालिकी एवं आधिपत्य का नगर परिषद मानपुर के वार्ड नंबर 13, सनाढय मोहल्ला, मानपुर, आबादी गांवठान, तहसील महू जिला इन्दौर स्थित भूखंड क्रमांक 75, जिसका क्षेत्रफल 19X86=1634 व.फि. के भूखंड पर G+1 I, मंजिल निर्मित आवासीय सह वाणिज्यिक भवन, जिसका इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री क्रमांक MP7IGR17552026A100187910, दिनांक 16.02.2026 है, को बंधक कर श्री सुमीत पिता श्री राधा मोहन शर्मा को रु. 5,00,000/- (अक्षरी रुपये- पांच लाख) मात्र का मार्टगेज ऋण स्वीकृत किया गया है।

सदर भूखण्ड/भवन की चतु:सीमाएँ निम्नानुसार है :-

पूर्व में		सरकारी आर.सी.सी. रोड है।
पश्चिम मे		गली है।
उत्तर में		श्री राधामोहन शर्मा का मकान है।
दक्षिण में		सरकारी आर.सी.सी. रोड है।

यदि उक्त भूखण्ड/भवन पर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, निकाय आदि का गिरवी, दान, बख्शीस, मेन्टेनेन्स आदि किसी भी प्रकार का भार, बोझ, हक इत्यादि हो तो इस जाहिर सूचना प्रकाशन के 7 दिन में निम्न पते पर लिखित आपत्ति मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी तथा सदर भूखण्ड एवं भवन का बैंक के पक्ष में विधिवत घोषणा पत्र (सामयिक बंधकनामा) का विधिवत पंजीयन करवा लिया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सी. 2693/1 इंदौर प्रीमियर कोआप. बैंक 24, महारानी रोड, इंदौर

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्रीमती दीपिका पति श्री अमर मिश्रा एवं सह आवेदक श्री अमर पिता श्री राम सेवक मिश्रा, निवासी 131, न्यू बृज विहार कॉलोनी, तहसील राऊ, जिला इन्दौर के मालिकी एवं आधिपत्य का नगर पंचायत क्षेत्र वार्ड नं. 13 संजय गाँधी वार्ड के 'श्री बृज विहार कॉलोनी ब्लॉक ए' स्थित 15X40-600 व.फि. के भूखण्ड क्रमांक 131 पर तल मंजिल निर्मित भवन, जिसकी ई-रजिस्ट्री क्रमांक MP179092019A1222957, दिनांक 29.03.2019 है, को बंधक कर श्रीमती दीपिका पति श्री अमर मिश्रा एवं सह आवेदक श्री अमर पिता श्री राम सेवक मिश्रा को रु. 10,00,000/- (अक्षरी रूपये दस लाख) मात्र का मार्टगेज ऋण स्वीकृत किया गया है।

सदर भूखण्ड/भवन की चतु:सीमाएँ निम्नानुसार है :-

पूर्व में		सड़क
पश्चिम मे		अन्य भू-भाग
उत्तर में		भू-भाग क्रमांक 132
दक्षिण में		भू-भाग क्रमांक 130

यदि उक्त भूखण्ड/भवन पर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, निकाय आदि का गिरवी, दान, बख्शीस, मेन्टेनेन्स आदि किसी भी प्रकार का भार, बोझ, हक इत्यादि हो तो इस जाहिर सूचना प्रकाशन के 7 दिन में निम्न पते पर लिखित आपत्ति मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी तथा सदर भूखण्ड एवं भवन का बैंक के पक्ष में विधिवत घोषणा पत्र (सामयिक बंधकनामा) का विधिवत पंजीयन करवा लिया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सी. 2693/1 इंदौर प्रीमियर कोआप. बैंक 24, महारानी रोड, इंदौर

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री संदीप पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा एवं सह आवेदक श्री मोहित पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा, निवासी- म.नं. 1. ग्राम बुढ़ानिया पंथ चन्द्रावती गंज, तहसील सॉवेर, जिला इन्दौर के सर्वे नं. 17, पैकि भूमि पर स्थित संयुक्त मालिकी एवं आधिपत्य का ग्राम बुढ़ानिया पंथ चन्द्रावती गंज, आबादी गॉवठान, तहसील सॉवेर, जिला इन्दौर स्थित 12.25X75=918.75 व.फि. के भूखण्ड पर तल मंजिल निर्मित भवन, जिसकी ई-रजिस्ट्री क्रमांक एमपी179112022ए 11150228, दिनांक 18.11.2022 है, को बंधक कर श्री संदीप पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा एवं सह आवेदक श्री मोहित पिता श्री ओम प्रकाश शर्मा को रु. 19,00,000/- (अक्षरी रूपये- उन्नीस लाख) मात्र का मार्टगेज ऋण स्वीकृत किया गया है।

सदर भूखण्ड/भवन की चतु:सीमाएँ निम्नानुसार है :-

पूर्व में		गजेन्द्र सिंह भदौरिया का मकान
पश्चिम मे		डॉक्टर मलिक का मकान
उत्तर में		संस्कार स्कूल
दक्षिण में		सांवेर-चन्द्रावतीगंज रोड

यदि उक्त भूखण्ड /भवन पर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, निकाय आदि का गिरवी, दान, बख्शीस, मेन्टेनेन्स आदि किसी भी प्रकार का भार, बोझ, हक इत्यादि हो तो इस जाहिर सूचना प्रकाशन के 7 दिन में निम्न पते पर लिखित आपत्ति मय प्रमाण के प्रस्तुत करें। बाद मियाद कोई आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी तथा सदर भूखण्ड एवं भवन का बैंक के पक्ष में विधिवत घोषणा पत्र (सामयिक बंधकनामा) का विधिवत पंजीयन करवा लिया जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सी. 2693/2 इंदौर प्रीमियर कोआप. बैंक 24, महारानी रोड, इंदौर